<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारीः– **सुनील कुमार पंचोली,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी संख्याः- **76/2026 (CIS No. 76/2026)**

1 निजामुद्दीन पुत्र महरूम, उम्र 36 वर्ष, निवासी महनसर, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं (राज०)

2 इस्लामुद्दीन पुत्र महरूम, उम्र 38 वर्ष, निवासी महनसर, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं (राज०)

3 रफीक पुत्र मोबीन, उम्र 60 वर्ष, निवासी महनसर, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं (राज०)

4 फारूक पुत्र रज्जाक, उम्र 64 वर्ष, निवासी महनसर, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं (राज०)

5 मुस्ताक पुत्र फकरूद्दीन, उम्र 60 वर्ष, निवासी महनसर, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं (राज०) -----**निगरानीकारान**

//बनाम//

1 राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, झुंझुनूं (राज०)

2 चिरंजीलाल पुत्र लक्ष्मीचन्द, निवासी वार्ड नंबर 7 व्यापारियों का मौहल्ला महनसर, पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं (राज०) ----**गैर निगरानीकारान**

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक **08.12.2025** जो
विद्वान तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बिसाउ द्वारा
<u>फौज०प्र०सं० 46/2025 राज०राज्य/निजामुद्दीन व अन्य में पारित किया गया</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री राजकुमार सैनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते निगरानीकारान
2. श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
3. श्री संजीव सिंघल, विद्वान अधिवक्ता वास्ते गैर निगरानीकार संख्या 2

<u>आदेश</u> **दिनांकः– 03.07.2026**

1. हस्तगत निगरानी विद्वान कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बिसाउ के निम्नलिखित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है–

''आज यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना बिसाउ की ओर से गैरसायल निजामुद्दीन पुत्र महरूम निवासी महनसर पुलिस थाना बिसाउ जिला झुंझुनूं के विरूद्ध धारा 126,135 बीएनएसएस के तहत पेश किया गया। इस्तगासा पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासा एवं बयान गवाहान में अंकित तथ्यों से जाहिर होता है कि मौके पर दोनों पार्टियों में आपस में तनाव है जिससे मौके पर परिशांति भंग होने का अंदेशा थानाधिकारी द्वारा बताया गया है। अतः इस्तगासा दर्ज रजिस्टर

किया जाकर गैरसायलान के विरूद्ध नोटिस अंतर्गत धारा 126,135 बीएनएसएस जारी हो कि वे दिनांक 22.12.2025 को पेश होकर अपना पक्ष रखें कि क्यों न उन्हें मौके पर परिशान्ति कायम रखने के बाद जांच जमानत–मुचलका तादादी 10000 रुपए से अर्सा 6 माह के लिए पाबन्द किया जावे। नोटिस वास्ते तामील थानाधिकारी बिसाउ को प्रेषित हो। पत्रावली आइन्दा दिनांक 22.12.2025 को पेश हो।"

2. निगरानीकारान की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय का नोटिस दिनांक 28.04.2026 को पुलिस थाना बिसाउ का कांस्टेबल लेकर आया तब उन्हें आलौच्य आदेश का ज्ञान हुआ जिस पर उन्होंने पत्रावली की नकल प्राप्त की। अतः निगरानीकारान/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी याचिका अंदर मियाद मानी जावे।

3. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 08.12.2025 को पारित करते हुए प्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया परन्तु निगरानीकारान/प्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामील विचारण न्यायालय में प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई तथ्य विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है। निगरानीकारान की ओर से यह कथन किया गया है कि उन्हें आदेश की जानकारी दिनांक 28.04.2026 को पुलिस थाना बिसाउ के कांस्टेबल के जरिए हुयी थी तब उन्होंने पत्रावली की नकल प्राप्त की। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर निगरानी याचिका का निस्तारण किया जा रहा है।

4. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकारान ने तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों पर गौर किए आलौच्य आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130, 133 के आदेशात्मक प्रावधान की कोई पालना नहीं की गई है। उनका तर्क है कि निगरानीकारान एवं गैर निगरानीकार के मध्य सम्पत्ति का विवाद न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा में विचाराधीन है, उक्त प्रकरण में दबाव बनाने के लिए यह झूठी कार्यवाही की है। अतः आलौच्य आदेश को विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता एवं उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 ने इसका विरोध करते हुए आलौच्य आदेश को पूर्णतया विधिपूर्ण बताते हुए निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों के तर्कों पर पूर्ण मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए निगरानीकारान से यह अपेक्षा की गयी है कि *क्यों न उन्हें मौके पर परिशान्ति कायम रखने के बाद जांच जमानत–मुचलका तादादी 10000 रुपए से अर्सा 6 माह के लिए पाबन्द किया जावे।* विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को दिनांक 08.06.2026 को 06 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. परिणामतः निगरानीकारान निजामुद्दीन व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2025 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9. इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(**सुनील कुमार पंचोली**)
सेशन न्यायाधीश,
झुंझुनूं (राज०)

10. आदेश आज दिनांक **03.07.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(**सुनील कुमार पंचोली**)
सेशन न्यायाधीश,
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.04 14:14:20 IST